10/4/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी सुना गया। वकील वादी का कथन है कि हमारा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.07.2023 अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से का विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से हम सन्तुष्ट है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। वकील वादी को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिससे वादी भी सहमत है तथा प्रतिवादी ने भी कोई आपत्ति/एतराज प्रस्तुत नही किया है। अतः दोनों के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 14:00:58 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2023/3443 दिनांक 22.08.2023 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादी को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलाय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 14:00:58 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)